सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थनापत्र सं. 139 / 2015

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

1. गोकल पुत्र जगदीश जाति कीर
2. धापू पत्नि जगदीश कीर

समस्त निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. रोडू पुत्र गीला
2. भीकम पुत्र रोडू जाति कीर
3. काना पुत्र रोडू जाति कीर

समस्त निवासीगण बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

———अप्रार्थीगण

4. मधु पत्नि हनुप्रसाद जाति ब्राहम्ण
5. सीता पत्नि विष्णुकुमार जाति ब्राहम्ण

निवासी बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

———प्रफोर्मा अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांक 30.06.2018

पत्रावली आज दिनांक 30.06.2018 को केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प बघेरा में पेश हुई। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069—72 के खाता नम्बर 250 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 4502, 4505, 4507, 4520, 4530, 4531 किता 6 कुल रकबा 0.96 है. एवं खाता संख्या 608 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 4522, 4523 किता 2 कुल रकबा 0.57 है. एवं खाता संख्या 609 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 4525 रकबा 0.20 है. भूमि प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजीयात है। खाता संख्या 250 की आराजीयात प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। खाता संख्या 608 व 609 की आराजीयात प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। अप्रार्थीगण का उक्त आराजीयात पर कोई हक हिस्सा व अधिकार नही है। अप्रार्थीगण प्रार्थनापत्र वर्णित प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थीगण की आराजीयात पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जिसके कारण यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

हमने प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री मीठूसिंह राठौड एवं अप्रार्थीगण 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद शर्मा उपस्थित। अप्रार्थीगण को जवाब हेतु मौके दिये गये किन्तु अप्रार्थीगण का जवाब पेश नही हुआ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण एवं प्रफोर्मा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की स्वयं खातेदारी की आराजीयात होने से प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र प्राईमाफेसाइ केस होना जाहिर होता है तथा प्रार्थनापत्र का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र वाके ग्राम बघेरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069—72 के खाता नम्बर 250 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 4502, 4505, 4507, 4520, 4530, 4531 किता 6 कुल रकबा 0.96 है. एवं खाता संख्या 608 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 4522, 4523 किता 2 कुल रकबा 0.57 है. एवं खाता संख्या 609 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 4525 रकबा 0.20 है. भूमि का स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि तावाद विचाराधीन होने तक वे प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 3.06.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी